

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद एवं कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक / ० फरवरी, 2024

विषय: -वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या-2373/दौआ0-कृषि निवेश, दिनांक 06.02.2024 एवं पत्र संख्या-96/आपदा-2023-24, दिनांक 07.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित कृषकों जिनको कतिपय कारणों से उस वर्ष में राहत सहायता नहीं मिल पायी है, को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु ₹ 2,81,488/- (₹ 2 लाख इक्कासी हजार चार सौ अठ्ठासी मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि के ओलावृष्टि मद-05 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद	कृषकों की संख्या	जनपद द्वारा धनराशि की मांग
1	2	3	4
1	फिरोजाबाद	90	2,07,920
2	कुशीनगर	59	73,568
	योग	149	2,81,488

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से

कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं-33-03/2020-एनडीएम-1, दिनांक- 11.07.2023 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा। वर्ष 2023-24 से पूर्व भारत सरकार की जो गाइडलाइन प्रभावी थी, उसके मानक दरों के आधार पर कृषि निवेश अनुदान की गणना करते हुए भुगतान किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रु0 2,81,488/- (रु0 दो लाख इक्यासी हजार चार सौ अट्ठासी मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-05 ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(राम केवल)

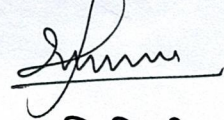
विशेष सचिव।

संख्या- 284(1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-15/02/2024

प्रेषण संख्या:- 284
आवंटन आदेश संख्या:- 001-284
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	207920 207920	207920 207920
2	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	73568 73568	73568 73568
	योग	वर्तमान प्रगामी	281488 281488	281488 281488

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख इक्यासी हजार चार सौ अठासी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो लाख इक्यासी हजार चार सौ अठासी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन